

ज्यायालय : सुपरवर्ड अधिकारी जन्मवारामगढ (जयपुर)
दावा संख्या - 113/2017

- 1- काठू पुत्र सुल्पा लाली मीना निवासी ग्राम.
दादिया परी तहसील जन्मवारामगढ (जयपुर)
... दादी

बेमाम

- 1- रामफूल पुत्र सुल्पा
- 2- कैलाश पुत्र नारायण
समस्त लाली मीना निवासी. ग्राम दादिया परी
तहसील जन्मवारामगढ (जयपुर) राजप.
3. प्रखरा गमीन बेंक शारदा सर परिषद शारदा
प्रबंधक सर तहसील बरसी जिला जयपुर
- 4- राज्य सरकार परिषद तहसीलदार जन्मवारामगढ (जयपुर)
राजस्थान
- 5- उपपंजीयक जन्मवारामगढ जिला जयपुर (राजप.)

... परिवारांग

दावा चावत ~~...~~ सुधार निषेधाज्ञा
व विकासमा धारा 53.1108 RT Act

निर्णय दिनांक 24/01/2019

यह चाद दादी की ओर से एक
चाद चाद चावत विकासमा व सुधार
निषेधाज्ञा का अंतर्गत धारा 53.1108
आर० एम० के तहत पेश किया। चाद का
संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि
अनू दादिया परी परिवार हफ्ता चर्कपुरा
तहसील जन्मवारामगढ (जयपुर) में निरपत
अराजी सं० न० 110 रकबा 0.01 हेक्टर, 111 रकबा
1.58 हेक्टर. कुल कित 2 कुल रकबा 1.59
हेक्टर में दादी का हिस्सा 9/20 व परिवारी
सं० हिस्सा 9/20 व परिवारी सं० 2 का हिस्सा
110 अंकित है।

(2)

उक्त दिवदित भूमि की विधिकर सुनवाई कर दिनांक 7/6/10 को प्राथमिक डिफ़ी के आदेश दिखे थे। तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ जमवारामगढ़ को निर्देश दिए गए कि उभय पक्षों को सूचित करते हुए उनकी मौजूदगी में कुर्बान रिपोर्ट के प्रस्ताव तैयार कर कुर्बान रिपोर्ट तीन-तीन प्रति में अलग-अलग रजमरकर भिजवावे।

उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने कम्पन पत्रांक 9406 दिनांक-17/2/18 को कुर्बान रिपोर्ट भिजवाई। उक्त कुर्बान रिपोर्ट पर दिनांक 24/11/19 को उभय पक्षों को बहस सुनी गई। बहस सुनने के बाद कौनसी पक्ष केवलेशन करने पर प्राप्त कुर्बान रिपोर्ट के अनुसार वाद में अन्तिम डिफ़ी निर्णय प्रकार से पारित की जाती है।

1. कौमश कुंज मारागज कौम मीन साठ देह के रकम 999/3 रकम 0.16 कम्पन की जाती है।
2. रामचूल पुत्र मूणा कौम मीन साठ देह के रकम 999/2 रकम 0.10, रकम 999/2 रकम 0.6050, रकम 990 रकम 0.01 कम्पन किया जाता है।
3. काण पुत्र मूणा कौम मीन साठ देह के रकम 999/1 रकम 0.7150 कम्पन किया जाता है।

उपरोक्तानुसार वाद में अन्तिम डिफ़ी पारित की जाती है। निर्णय व डिफ़ी की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को बालगर्भ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रादली कौशल शुभा हेतु रजमर होकर रजमर से काठ हो। वाद इति पारित दाखल है। निर्णय आज दिनांक 24/01/2019 को शुके उपापालक सुभाषा शर्मा

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़